श्री कुणाल सिल्कू, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता मे एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स व अन्य बिन्दुओ पर आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 15.05.2017 की कार्यवृत्तिः–

उपस्थिति–

1. सर्वश्री कुणाल सिल्कू,	जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
2. श्री सत्येन्द्र कुमार,	पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
3. " बाबूराम,	अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सिद्धार्थनगर।
4. " अशोक कुमार,	अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
5. " विनीत कुमार उपाध्याय,	उपजिलाधिकारी नौगढ।
6. " जुबेर बेग,	उपजिलाधिकारी इटवा।
7. " अरुण कुमार सिंह,	उपजिलाधिकारी शोहरतगढ।
8. " अंकुर श्रीवास्तव,	उपजिलाधिकारी डुमरियागंज।
9. " अरुण कुमार राय,	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर।
10." देवमणि मिश्र,	जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर।
11." विमलेश कुमार,	अपर जिला सूचना अधिकारी सिद्धार्थनगर।
12." डी.एन. त्रिपाठी,	सी.ओ. इटवा।
13." सुनील कुमार सिंह,	सी.ओ. डुमरियागंज।
14." जे.एस. राय,	सी.ओ. शोहरतगढ।
15." राजेश कुमार जायसवाल,	तहसीलदार बांसी।
16." शिवाकान्त मिश्र,	एस.ओ. सिद्धार्थनगर।
17." संजय दूबे,	एण्टी माफिया सेल, सिद्धार्थनगर।
18." राजाराम,	डी.एल.आर.सी. कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।
19." अमरेन्द्र दूबे,	ई.डी.एम., सिद्धार्थनगर।

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र सं–402/1–2–2017–1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 के अनुपालन मे अतिक्रमण/अवैध कब्जा की गयी सम्पत्तियों को चिन्हित कर, भू–माफियाओं के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरी क्षमता के साथ कार्यवाही किये जाने हेतु जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किये जाने हेतु बल दिया गया। साथ ही साथ टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व के बारे मे अवगत कराया गया।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स का यह दायित्व होगा कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, विभिन्न शासकीय विभागो, अवैध कब्जे के सम्बन्ध मे प्राप्त शिकायतो आदि का विश्लेषण कर राजकीय भूमियो, निजी भूमियो, विभिन्न संस्थाओ,

ट्रस्टों, समितियों, प्राधिकरण, परिषद आदि की भूमियो पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा करने वाले पेशेवर अतिक्रमणकारियो/कब्जेदारो, दबंगो, गिरोहबन्द, असामाजिक प्रकृति के व्यक्तियो को भू–माफिया के रुप मे चिन्हित कर सूचीबद्ध करे और उनके विरुद्ध दाखिल तथा विभिन्न न्यायालयो मे विचाराधीन अपराधिक मामलो मे त्वरित विवेचना कराते हुये अपराधिक वादो की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायें। इस सूची मे इस प्रकार के नाम सम्मिलित करे, जिनकी सामान्य ख्याति अवैध कब्जे करने की है और जिन पर कार्यवाही का सकारात्मक प्रभाव जनमानस पर पडेगा। टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करेगी कि शासकीय एवं निजी भूमियो पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध मे विभिन्न माध्यमो से प्राप्त शिकायतो का प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर की जाय एवं कृत कार्यवाही का विवरण वेबपोर्टल पर अंकित कर दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त भू–माफिया चिन्हांकन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किये जाने हेतु विशेष बल दिया गया। अवैध कब्जा/अतिक्रमण को चिन्हित करने व उसे तत्काल अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया गया। यदि जिला स्तरीय टास्क फोर्स के द्वारा निरीक्षण करने पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण का कोई ऐसा प्रकरण पाया जाता है जो तहसील स्तर के अधिकारियो द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमणमुक्त नही कराया गया है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स के बिन्दुवार कार्यो एवं दायित्वो पर चर्चा की गयी।

समीक्षा बैठक के दौरान शासनादेश के निर्देशानुसार तहसील स्तरीय टास्क फोर्स स्थापित कर उसकी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के कार्यो एवं दायित्वो के बारे मे भी चर्चा की गयी।

उक्त के अतिरिक्त सभी शासकीय सम्पत्तियो को चिन्हित किया जाय, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे दबंग व्यक्तियो को चिन्हित किया जाय, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियो पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की है। जिससे इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। शासकीय सम्पत्तियो पर हुये अतिक्रमण को चिन्हित करने का दायित्व सम्बन्धित विभागो/स्थानीय निकायो/प्राधिकरणो के जनपद स्तरीय अधिकारियो का होगा। जो आगामी दो माह के भीतर अपने विभाग की सम्पत्तियो पर हुये अतिक्रमणो, अतिक्रमणकारियो, अतिक्रमण हटाने के लिये किये गये प्रयासो एवं आ रही बाधाओ को सूचीबद्ध करेगें तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। जहॉ तक लावारिस एवं निजी सम्पत्तियो पर अवैध कब्जो का सम्बन्ध है, ऐसे मामलो मे सामान्यतः शिकायतें थाना स्तर पर प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार के दबंग व्यक्तियो को चिन्हित करने का कार्य मुख्य रुप से पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन के उक्त आदेश के अनुपालन मे सम्बन्धित अधिकारियो से अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर अवैध कब्जा/अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकरणो की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ शासन की प्राथमिकता को देखते हुये

तहसील स्तर पर भूमि विवाद से सम्बन्धित तथा भू–माफिया चिन्हित करने विषयक प्रकरण को दर्ज करने हेतु अलग–अलग दो पंजी बनाये जाने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित राशन कार्ड जॉच, आई.जी. आर.एस. व तहसील दिवस से सम्बन्धित अवशेष शिकायतो के निस्तारण व आपदा राहत कोष से बकाया धनराशि शीघ्र भुगतान किये जाने, बाढ़ की तैयारी, बांधो के निरीक्षण एवं उनके मरम्मत कराये जाने तथा आगामी त्योहारो के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाये रखने आदि बिन्दुओ पर भी समीक्षा की गयी।

अन्त मे उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी से शासनादेश सं–402/1–2–2017–1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 मे दिये गये निर्देशो का प्रत्येक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(कुणाल सिल्कू)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1271 (15) /डी.एल.आर.सी./2017–18/दिनांक 17 मई, 2017
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सिद्धार्थनगर।
3. समस्त उपजिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
4. समस्त क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थनगर।
5. जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर।
6. ई.डी.एम. सिद्धार्थनगर।

17/5/17

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।